न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः– अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
27/2023	18.07.2023	21.06.2024

1. हनुमान प्रसाद पुत्र गंगाविशन उर्फ लदूर दत्तक पुत्र रामकुंवार उम्र 62 वर्ष
2. रामावतार पुत्र गंगाविशन उर्फ लदूर उम्र 52 वर्ष
3. रामप्यारी पुत्री गंगाविशन उर्फ लदूर उम्र 55 वर्ष
4. किसकन्धा पुत्र गंगाविशन उर्फ लदूर उम्र 50 वर्ष
5. सीमा बाई पुत्री गंगाविशन उर्फ लदूर उम्र 45 वर्ष

समस्त जातियान मीना निवासीयान सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा शर्मा प्रार्थी की और से।

:– निर्णय –:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल आर एक्ट पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण राजस्व ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर के मूल निवासी होने के साथ–साथ काश्तकार पेशा व्यक्ति है। प्रार्थीगण राजस्व ग्राम सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित कृषि भूमि सूरवाल ए के खाता संख्या 172, 173 में अंकित कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2074 से सम्वत् 2077 की प्रमाणित प्रति मय ट्रेस शीट सहित संलग्न है। प्रार्थीगणों ने दिनांक 15.06.2023 को तहसीलदार सवाई माधोपुर के आदेश की पालना में दिनांक 23.06.23 को राजस्व ग्राम सूरवाल ए के खाता संख्या 172, 173 में अंकित कृषि भूमि खसरा नं0 156 रकबा 0.06 है०, ख०न० 157 रकबा 0.43 है०, ख0न0 323 रकबा 1.51 है0 ख0न0 343 रकबा 0.03 है०, ख०न० 345 रकबा 0.01 है० कुल किता 6 कुल रकबा 2.07 है0 का सीमाज्ञान करवाया था, सीमाज्ञान मुस्तकिल पोईन्ट कायम करके सीमाज्ञान हेतु गठित टीम द्वारा किया गया था, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.06.23 [illegible] पत्र के साथ संलग्न हैं । प्रार्थीगणों के भौतिक काश्त की कृषि भूमि खसरा [illegible] रकबा 0.06 है०, ख०न० 157 रकबा 0.45 है०, ख०न० 343 [illegible] 344 रकबा 0.03 है० का सीमाज्ञान करवाये जाने के पश्चात [illegible] सीमाज्ञान हेतु गठित टीम द्वारा मौके पर कायम किये गये सीमा चिन्हों के साथ–[illegible] हाल ट्रेसशीट के अनुसार मौके पर हो रही मेर बन्दी को तोड कर अतिक्रमण करने के लिये प्रयत्नशील होने के कारण प्रार्थीगण भौतिक कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 156, 157, 343, 344 की पत्थर गढी ट्रेसशीट की सीमा के अनुरूप करवाना चाहते हे जिससे प्रार्थीगणों की कृषि भूमि सुरक्षित रह सकें, इसलिये प्रार्थीगणों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar [illegible]
Date: 2025.09.10 13:54:32 IS[illegible]
Reason: SelfAttested

ओर से न्यायालय हाजा की शरण लेकर पत्थर गढी करवाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हो गया हैं प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थीगणों ने खसरा नं0 156, 157 के पूर्वी एवं पश्चिम दिशा की ओर फेसिंग कर रखी है ख0न0 156 के उत्तरी एवं दक्षिण दिशा की ओर गड्डू गाड कर तारों की फेसिंग करना शेष है। मात्र उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर ही तारों की फेसिंग पत्थर गढी जरिये पुलिस इमदाद द्वारा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे प्रार्थीगणों की कृषि भूमि सुरक्षित रह सकें । तहसीलदार सवाई माधोपुर गठित की गई सीमाज्ञान टीम द्वारा दिनांक 23.06.23 को सीमाज्ञान किया गया था, एवं तहसीलदार, सवाई माधोपुर से ही पत्थर गढी बाबत तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जावेगी, इसलिये तहसीलदार सवाई माधोपुर को पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थीगणों की कृषि भूमि के सहारे स्थित खसरा नं0 325, 156/7063 के खातेदार द्वारा दिनांक 05.07.23 को सीमाचिन्हों को नष्ट करने की धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश हैं अन्य उजात वरवकत बहस जुवानी वाद मिशल मुआयना अर्ज किये जावेगें । अतः श्रीमान् जी की सेवामें प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी किये जाने अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार, स०मा० से वाके ग्राम सूरवाल ए के खाता संख्या 172, 173, में अंकित कृषि भूमि खसरा नं0 156 रकबा 0.06 है०, ख०न० 157 रकबा 0.45 है०, खन0 343 रकबा 0.03 है0 ख0न0 344 रकबा 0.03 है0 की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम सूरवाल ए के खाता संख्या 172, 173 में अंकित कृषि भूमि खसरा नं0 156, 157, 343, 344 की पत्थर गढी जरिये पुलिस इमदाद द्वारा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट अविलम्ब तलब की जावें। आपकी कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि हाल जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 172 में दर्ज खसरा नंबर 157 रकबा 0.45, 224 रकबा 0.53, 225 रकबा 0.05, 228 रकबा 0.24, 318 रकबा 0.26, 319 रकबा 0.60, 322 रकबा 1.05, 323 रकबा 1.51, 343 रकबा 0.03, 344 रकबा 0.03, 345 रकबा 0.01 किता 11 रकबा 4.76 है0 में वादीगणों का हिस्सा जमाबंदी के अनुसार है जो मुताबिक रिकार्ड सही है। तहसील कार्यालय के आदेश दिनांक 23.06.2023 से राजस्व टीम द्वारा खसरा नंबर 156,157,323,343,344,345 किता 6 रकबा 2.07 है0 का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौके पर सीमाचिन्ह कायम किये गये थे। बिंदु संख्या 4 से 9 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम सूरवाल ए के खाता संख्या 172 व 173 में अंकित कृषि भूमि खसरा नंबर 156,157,343,344 की पत्थरगढी जरिए पुलिस इमदाद में करवाने का निवेदन किया है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नंबरों का सीमाज्ञान किया जाना स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिए जाते है कि एक माह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.10 13:54:32 I
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

भीतर राजस्व ग्राम सूरवाल ए के खसरा नंबर 156,157,343,344 सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में विवादित भूमि पर पत्थरगढी पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में की जावे साथ ही तहसीलदार सवाई माधोपुर को यह भी आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि के आस पास के सभी खातेदारों को नोटिस दिए जाकर उनकी उपस्थिति में पत्थगरगढी की जावे। समस्त खर्चा प्रार्थीगण स्वयं वहन करेगें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को अंकित करवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार कर नंबर से कम की जाकर दाखिला दफ्तर हो।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:54:32 IST
Reason: SelfAttested